

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 62 /2022

उनवान

- 1- जगदीश पुत्र उदा रेगर निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 2- मु0 जमना पत्नी उदा रेगर निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

- प्रार्थगण

बनाम

- 1- कैलाश पिता भज्जा रेगर निवासी ढीकोला
- 2- महावीर पिता देवा रेगर निवासी ढीकोला
- 3- रामा पिता हीरा बंजारा निवासी ढीकोला
- 4-6 उदा, गोपाल, धन्ना पिता गांगा रेगर निवासी ढीकोला
- 7-8 हरजी, भागीरथ पिता गुलाब भील निवासी फुलिया खुर्द
- 9- मु0 शान्ती बेवा जानकीलाल शर्मा निवासी ढीकोला
- 10- गौरी शंकर पिता भेरू लाल चौबे निवासी ढीकोला
- 11- रब्बु पिता लाला बंजारा निवासी ढीकोला
- 12- राजू पिता ज्वारा नायक निवासी ढीकोला
- 13- भीकाराम पिता गणेश राव निवसी ढीकोला

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 30.08.2022

प्रार्थगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम ढीकोला पटवार हल्का ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 604 रकबा 0.57 है0, 607 रकबा 0.62 है0, 608 रकबा 0.72 है0, 473 रकबा 0.71 है0 कुल कित्ता 3 रकबा 2.62 हैक्टेयर की प्रार्थगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9, 11, 12 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 10, 13 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ढीकोला पटवार हल्का ढीकोला संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ढीकोला में स्थित प्रार्थगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 3 रकबा 2.62 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा